



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2013/कार्तिक 28, 1935

No. 568]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013/KARTIKA 28, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धि-पत्र

मुंबई, 24 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 741(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, 20 सितंबर, 2013 के सा.का.नि. सं. 645(अ) के जरिये प्रकाशित, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई की 17 सितंबर, 2013 की अधिसूचना सं. फेमा. 287/2013-आरबी में, "धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" शब्दों के लिए "धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और पढ़े जाएंगे।

यह कि उल्लेखानुसार परिशोधित और संशोधित, मूल विनियमावली पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू बनी रहेगी।

[फा. सं. 1/39/ई एम/2013]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 24th October, 2013

G.S.R. 741(E).—In the Notification No. FEMA. 287/2013-RB dated September 17, 2013 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, Mumbai, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 645(E), dated September 20, 2013, for the words, "In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6", the words, "In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 6" shall be substituted and read.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/39/EM/2013]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge